

Sub Registry Office, Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1594

RTPS No.:-
030118283002100426

चूंकि श्री Raj Kumar Singh & Other ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
इसद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में तारीख 01/01/2008 से तारीख 29/01/2021 तक तलारी की गयी और इसकी तलारी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता पला है-

क्रम संख्या	कार्यालय अंचल	मौजा/वाड़ नं०	खाता खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं०	पृष्ठ तक	तारीख
1	Danapur Thana No-21	Danapur	562 853 169 Dec.		0				

वह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं पला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलारी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम -ANIL KUMAR GUPTA
UPPER DIVISION CLERK

तलारी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -Rekha Choudhary
U.D.C

कार्यालय -

Sub Registry
Office, Danapur

तारीख -

29/01/2021



टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से मिला विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का मुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर प्रमाण-पत्र में दिये गये तलारी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलारी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तारीख कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक- 322 दिनांक- 29/01/2021

शाखा प्रबंधक State Bank of India पत्र दिनांक 23/01/2021

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर